102
294

Regd. No. NW/CH-3

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 15] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 14, 1987 (CHAITRA 24, 1909 SAKA)

CONTENTS

		Pages
PART I—Haryana Government Notifications and Orders	..	1475—1566
PART I-A—Notifications by Local Government	..	15—16
PART I-B—Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners	..	Nil
PART II—Statutory Notification of Election Commission of India—Other Notifications and Republications from the *Gazette of India*	..	Nil
PART III—Notifications by Director of Industries; Advertisement and Notices, etc.	..	121—124
PART III-A—Notifications by the Universities	..	Nil
PART III-B—Court Notices	..	Nil
PART IV—Acts, Bills and Ordinances from the *Gazette of India*	..	Nil
PART V—Notifications by Haryana State Legislature	..	Nil
SUPPLEMENT PART I—*Statistical*—Weather Crop Report for the week ending 6th January, 1987 and Tender Notice No. 3 of 1987-1988	..	125—133
SUPPLEMENT PART II—General Review	..	83—112
LEGISLATIVE SUPPLEMENT—Contents	..	liv
Ditto PART I—Acts	..	Nil
Ditto PART II—Ordinances	..	Nil
Ditto PART III—Delegated Legislation	..	391—393
Ditto PART IV—Correction Slips, Republications and Replacements	..	Nil

PART I

Haryana Government Notifications and Orders

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

The 12th March, 1987

No. 20/43/85-943 (87) JJ (8).—The Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Grant of Free Legal Service and Advice to the Poor Rules, 1982, namely :—

1. These rules may be called the Haryana State Grant of Free Legal Service and Advice to the Poor (First Amendment) Rules, 1987.

2. In the Haryana State Grant of Free Legal Service and Advice to the Poor Rules, 1982 in rule 18, for the figure "5000". the figure "6000" shall be substituted.

L. M. JAIN,

Commissioner & Secretary to Govt., Haryana,
Administration of Justice Department.

न्याय प्रशासन विभाग

12 मार्च, 1987

सं० 20/43/85-943 (87) जे. जे. (8).—हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा राज्य निर्धन मुफ्त कानूनी सेवा तथा सलाह नियम, 1982 आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा राज्य निर्धन मुफ्त कानूनी सेवा तथा सलाह (प्रथम संशोधन) नियम, 1987 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा राज्य निर्धन मुफ्त कानूनी सेवा तथा सलाह नियम, 1982 में नियम 18 में, "5000" अंकों के स्थान पर "6000" अंक रखे जाएंगे।

एल० एम० जैन,

आयुक्त तथा सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publcation of the following English translation of Notification No. 132/2/8/85-CX-5, dated 20th October, 1986.

UTTAR PRADESH SHASAN

Gopan Anubhag-5-Lucknow

The 20th October, 1986

No. 132/2/8/85-CX-5 Lucknow.—Whereas the State Government has reason to believe that Shri Jagbir son of Bhim Singh resident of village and post Nari district Sonipat, Haryana in respect of whom detention order No· 132/2/5/85-CX-5, dated May 17, 1985 under clauses (iii) of sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (Act No. 52 of 1974) has been made, has absconded or is concealing himself so that the said order cannot be executed.

Now, therefore, in exercise of the powers under clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to direct the said Shri J bir to appear before the chief judicial Magistrate, Sonipat in his court within thirty days from the date f the publication of this NOTIFICATION in Official Gazette.

BY ORDER,
Home Secretary.

LATE NOTIFICATIONS

उत्तर प्रदेश सरकार

गोपन अनुभाग–5

लखनऊ: दिनांक 20 अक्तूबर, 1986

संख्या 132/2/8/85-सी० एक्स०-5.—चूंकि राज्य सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री जगबीर, पुत्र श्री भीम सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट नारो, जिला सोनीपत, हरियाणा जिसके सम्बन्ध में "दि कंजरवेशन आफ फारेन एक्सचेंज ऐण्ड प्रिवेन्शन आफ स्मगलिंग ऐक्टीविटीज ऐक्ट, 1974" (ऐक्ट), संख्या 52, 1974 की धारा 3 की उपधारा (i) के खण्ड (iii) के अधीन निरोधादेश संख्या 132/2/5/85-सी० एक्स०-5, दिनांक 17 मई, 1985 दिया गया है, फरार हो गये हैं अथवा अपने को छिपाये हैं जिससे कि उक्त आदेश निष्पादित नहीं किया जा सकता है ।

2. अतएव, अब, उपरोक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (i) के खण्ड (बी) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त श्री जगबीर को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत के समक्ष, उनके न्यायालय में हाजिर होने का निदेश देते हैं ।

आज्ञा से,

माता प्रसाद,

गृह सचिव ।

श्रम विभाग

दिनांक 30 मार्च, 1987

क्रमांक 14/62/84-6श्रम.—कारखाना अधिनियम, 1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63 की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इससे पूर्व जारी की गई हरियाणा सरकार श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14/62/84-6 श्रम, दिनांक 12 दिसम्बर 1984 की अधिक्रमण करते हुए हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा श्री आर० एस० अग्रवाल को मुख्य कारखाना निरीक्षक, हरियाणा नियुक्त किया जाता है ।

कुलवन्त सिंह,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम एवं रोजगार विभाग ।

LABOUR DEPARTMENT

The 4th March, 1987

No. 5 (14) 83-2-Lab.—In exercise of powers by section 28 of the Maternity Benefit Act, 1961 (Central Act 53 of 1961), and with reference to Haryana Government Labour Department Notification No. 5 (14) 83-2 Lab, dated 11th December, 1984.

Whereas the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Maternity Benefit Act, 1961, namely—

1. These rules may be called the Haryana Maternity Benefit (Haryana Amendment) Rules, 1986.

2. In the Haryana Maternity Benefit Rules, 1967 (Hereinafter referred to as the said rules), in rule 5:—

(i) In sub-rule (i) clause (a) the word "regional" shall be omitted;

(ii) for the existing sub-rule (5) the follwing sub-rule shall be substituted, namely:—

"(5) For the purpose of sub-rules (2) and (3) the qualifications to be possessed by a mid-wife shall be as under:—

(a) Middle pass with Hindi from a recognised school,

(b) should be qualified and registered as Auxiliary Nurse Mid-wife with the Haryana Nurses Registration Council, Chandigarh; and

(c) should have undergone two year Auxiliary Nurse Mid-wife training from Government or recognised Institution.

The certificate from a qualified mid-wife shall be in form "E".

3. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (7) the word 'regional' shall be omitted.

4. In the said rules, in rule 7 for the figure and word "20 minutes", figure and word "30 minutes" shall be substituted.

6. (i) In the said rules, in rule 10 in sub-rule (2) after the words "registered cover" the words "or under postal certificate" shall be inserted; and

(ii) in sub-rule (3) after the words "Call for his reply" the words "within one month" shall be inserted.

7. In the said rules, in rules 11 in sub-rule (2), after the word "establishment", the words "or any other person" shall be inserted.

8. In the said rules, in rule 13, words in the end of the words "and the employer shall maintain a record of such froms" shall be inserted.

9. In the said rules, in rule 14 in the end, the words "the record shall be destroyed after a period of two years with the permission of the competent Authority" shall be added.

10. In the said rules, in rule 15, after the word "exhibited", the words "both in Hindi and English" shall be inserted.

KULWANT SINGH,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Labour and Employment Department.

श्रम विभाग

दिनांक 4 मार्च, 1987

संख्या 5/14/83-2 श्रम.—प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम, 53) की धारा 28 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा सरकार, श्रम विभाग अधिसूचना संख्या 5(4) 83-2 श्रम, दिनांक 11 दिसम्बर, 1984 के संदर्भ में हरियाणा के राज्यपाल प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 को आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. यह कि नियम हरियाणा प्रसूति प्रसुविधा (हरियाणा संशोधन) नियम 1986 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा प्रसूति प्रसुविधा नियम, 1967 (जिन्हें इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 में।

1. उपनियम (1) के खण्ड (क) में "प्रादेशिक" शब्द हटा दिया जायेगा।

2. विद्यमान उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(5) उपनियम (2) तथा (3) के प्रयोजनों के लिये धात्री के पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगी :—

(क) भारत में किसी मान्यता-प्राप्त निकाय से हिंदी सहित मिडिल पास,

(ख) हरियाणा नर्सिज रजिस्ट्रेशन कौंसिल, चण्डीगढ़, से बतौर सहायक परिचारिक धात्री के रूप में अर्हता प्राप्त हो और उसके पास पंजीकृत होनी चाहिये और

(ग) किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त, प्राईवेट संस्था से सहायक परिचारिका धात्री का दो वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिये, अर्हता-प्राप्त धात्री से प्रमाण-पत्र प्ररूप "ड" में होगा ।

3. उक्त नियमों में, नियम 6 में, उपनियम (7) में "प्रादेशिक" शब्द हटा दिया जाएगा ।

4. उक्त नियमों में, नियम 7 में शब्द "20 मिंट" अंक तथा शब्दों के स्थान पर "30 मिंट" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त नियमों में, नियम 8 के उपनियम (3) में "रिपोर्ट के लिये भेजेगा" शब्दों के स्थान पर "रिपोर्ट के लिये भेजेगा और" शब्द रखे जायेंगे ।

6. उक्त नियमों में, नियम 10 में :-

(क) उप नियम (2) में "रजिस्ट्रीकृत लिफाफे" शब्दों के बाद "या डाक प्रमाण-पत्र के अधीन" शब्द जोड़ दिये जायेंगे ।

(2) उप नियम (3) में "उसका जवाब मांगेगा" शब्दों से पहले "एक मास के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

7. उक्त नियमों के नियम 11 में उप नियम (2) में "स्थापना में नियुक्त किसी व्यक्ति" शब्दों के बाद "या किसी अन्य व्यक्ति" शब्द जोड़ दिए जाएंगे ।

8. उक्त नियमों में, नियम 13 के अन्त में "और नियोक्ता ऐसे प्रारूपों का अभिलेख रखेगा" शब्द जोड़ दिए जाएंगे ।

9. उक्त नियमों में, नियम 14 के अन्त में "और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् अभिलेख को नष्ट कर दिया जाएगा" शब्द जोड़ दिये जाएंगे ।

10. उक्त नियमों में, नियम 15 में प्रदर्शित शब्द से पहले "हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में" शब्द रखे जायेंगे ।

कुलवन्त सिंह,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम एवं रोजगार विभाग ।

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

Order

The 3rd April, 1987

No. 11(19)87-4Lab.—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 3 of the Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926) and in supersession of Haryana Government, Labour and Employment Departments, notification No. 11(54)-84-4Lab, dated the 12th October, 1984, the Governor of Haryana hereby appoints Shri Dharmendra Nath, Joint Labour Commissioner, and Chief Conciliation Officer, Haryana to be the Additional Registrar of Trade Unions, for the whole of the State of Haryana, for the purpose of exercising and discharging all the powers and functions of the Registrar under the superintendence and directions of the Registrar.

KULWANT SINGH,
Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana.
Labour and Employment, Haryana.

श्रम तथा रोजगार विभाग

आदेश

दिनांक 3 अप्रैल, 1987

सं० 11(19)87-4 श्रम.—व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, श्रम तथा रोजगार विभाग अधिसूचना सं० 11(54) 84-4 श्रम, दिनांक 12 अक्तूबर, 1984 का अतिक्रमण करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा श्री धर्मेन्द्र नाथ, संयुक्त श्रम आयुक्त तथा मुख्य सुलह अधिकारी, हरियाणा को रजिस्ट्रार के अधीक्षण तथा निदेशों के अधीन रजिस्ट्रार की सभी शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए पूरे हरियाणा राज्य के लिए अतिरिक्त रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ नियुक्त करते हैं ।

कुलवन्त सिंह,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग ।